[illegible]

[illegible] कार्यालय आदेश [illegible]

[illegible] कार्यालय/ कर्मी/ अधिकारी को लिखित रूप से और कार्य आवंटन [illegible] उपस्थित नहीं करने/ दायित्व स्पष्ट नहीं कर कर्मी/ अधिकारी अपने एवं अधीनस्थ के प्रति सजग नहीं है। अतः कर्मी का कार्य आवंटन कर्मी/ अनुभाग प्रभारी के स्वाधीन रखा जाता है। प्रत्येक कार्य पुनः विशेष नम्बर से कर दें।

सहायक कलक्टर
एवं कार्य पालक मजि. (मु.)
अजमेर

Scanned by CamScanner